मुन्तकिली प्रकरण सं0 52/2019 (RCMS 2019/00092) अनवानी जलन्धर सिंह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी चक 3 एपीएम हाल वार्ड नं 8, अनुपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मनमोहन मीणा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर 2. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति कम्बोज, चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानग 3. गुरदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख, चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानग 4. शमशेर सिंह पुत्र भंगा सिंह जाति जटसिख चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी हरनामसिंहवाला तहसील फूल जिला भटिण्डा, पंजाब 5. मुखत्यार सिंह पुत्र श्रंगार सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपालसिंह सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी का कथन है कि थाना पुलिस अधिकारी, समेजा कोठी की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत एक प्रकरण संख्या 3/2018 स्टेट बनाम जलन्धर सिह वगैरहा दर्ज होकर विचाराधीन है और जिसमें चक 14 एस केएम के पत्थर नम्बर 274/384 के किला नं. 1 ता 5 तथा चक 14 एसजेएम के 273/384 के किला नं 1 ता 4, 5/1, 6 का 0.0130 हैक्टर भूमि पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ द्वारा दिनांक 17.09.2018 को रिसिवर नियुक्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी जलंधर सिह द्वारा अपर सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ के न्यायालय में एक फौजदारी निगरानी प्रकरण संख्या 70/2018 पेश की गई और एक निगरानी संख्या 70ए/2018 शमशेर सिंह द्वारा पेश की गई। उनका आगे कथन है कि उक्त दोनों निगरानियों का दिनांक 13.02.2019 के आदेश द्वारा दोनों निगरानियां स्वीकार की जाकर उपखण्ड

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मजिस्ट्रेट, अनूपगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2018 निरस्त कर दिया और साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया कि वे इस आदेश की दिनांक से एक माह के अन्दर–अन्दर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध कर रिसिवर के दिन विवादित भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा था, पूर्ण जांच कर उक्त व्यक्ति को कब्जा संभलायें।

उनका आगे कथन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 04 शमशेर सिंह का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो चुका है तथा पिछली कई पेशियों से उसे अप्रार्थी शमशेर को पीठासीन अधिकारी से मिलते हुए प्रार्थी ने स्वयं देखा है जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है और प्रार्थी संख्या 04 भी यह कह रहा है कि उसका पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो गया है तथा विवादित भूमि का कब्जा उसे दिलवाया जायेगा। इसलिए प्रार्थी को यह आशंका हो गई है कि उसे निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा।

उनका यह भी कथन है कि अपर सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ के निर्णय के अनुसार एक माह में जांच करके सम्बन्धित व्यक्ति को कब्जा सौंपना था किन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जानबूझकर दो माह का समय व्यतीत होने पर भी अपर सैशन न्यायालय, अनूपगढ की पालना नहीं गई, जबकि रिसिवर के समय ही विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा था। क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा फैंसला प्रार्थीगण के पक्ष में करने का मानस बना लिया है, ऐसा उन्होनें ने न्यायालय में जाहिर भी किया है इसलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हस्तगत प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाये।

इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 04 शमशेर सिंह के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2018 के विरूद्ध अलग–अलग प्रस्तुत फौजदारी निगरानी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

संख्या 70/2018 जलंधर सिंह बनाम स्टेट वगैरा एवं 70ए/2018 शमशेर सिंह बनाम स्टेट वगैरा स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ का आदेश दिनांक 17.09.2018 निरस्त करके अपने आदेश दिनांक 13.02.2019 के द्वारा मामला इस निर्देश के साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ को रिमाण्ड किया है कि उक्त आदेश की दिनांक से एक माह के अन्दर–अन्दर दोनों पक्षों को साक्ष्य लेखबद्ध कर रिसिवर के दिन विवादित भूमि पर किसका कब्जा था, की जांच कर उस व्यक्ति को कब्जा संभलवाया जावे। किन्तु प्रार्थी जलंधर सिंह द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने की नियत से पूर्व में एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ को पेश किया, जिस पर पत्रावली आपके न्यायालय को मार्ग दर्शन के लिए भेज दी। जिस पर वापिस प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निस्तारण के लिए भेजा गया। अब पुनः प्रार्थी द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने की नियत से यह प्रकरण पेश किया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी का सम्पर्क होने सम्बन्धित लगाये गये आरोप सही नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं है, जानबूझकर विलम्ब कर रहा है। इसलिए उसका मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि इस न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपगढ द्वारा यह मामला उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ को सुनवाई हेतु मुंतकिल किया गया है। अगर प्रार्थी को सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ के आदेश से कोई आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र ग्रहण करने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया और पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 14.05.2019 का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2018 स्टेट बनाम जलंधर सिंह वगैरा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित किये गये रिसिवर आदेश दिनांक 17.09.2018 के विरूद्ध प्रार्थी जलंधर सिंह द्वारा निगरानी फौजदारी संख्या 70/2018 जलंधर सिंह बनाम स्टेट वगैंरा एवं अप्रार्थी संख्या 04 शमशेर सिंह द्वारा निगरानी फौजदारी संख्या 70ए/2018 अनवानी शमशेर सिंह बनाम स्टेट वगैंरा अपर सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ में पेश की जो उनके न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2019 के द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ का आदेश दिनांक 17.09.2018 निरस्त करके मामला इस निर्देश के साथ पुनः रिमाण्ड किया गया है कि एक माह के अन्दर–अन्दर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध कर रिसिवर के दिन विवादित भूमि का किस व्यक्ति का कब्जा था, पूर्ण जांच कर उस व्यक्ति को कब्जा संभलवाये। चूंकि जलंधर सिंह द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 के अन्तिम पैरा में अंकित तथ्यों के अनुसार उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण को मुंतकिल किये जाने के लिए पत्रावली इस न्यायालय को भिजवाई गई थी और अब उसके द्वारा पुनः धारा 411 दण्ड पंक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके अप्रार्थी संख्या 04 शमशेर सिह से पीठासीन अधिकारी का सम्पर्क होने के आधार पर यह प्रकरण अन्यत्र मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

चूंकि इस न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.02.2019 से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2018 सरकार बनाम जलंधर सिंह वगैरहा अन्तर्गत 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश दिनांक 17.09.2018 को निरस्त करके मामला इस निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के साथ भिजवाया गया है कि एक माह के अन्दर–अन्दर दोनों पक्षों को साक्ष्य लेखबद्ध कर रिसिवर के दिन विवादित भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा था, जांच कर उस व्यक्ति को कब्ज संभलवाने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के अनुसार भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण को उक्त वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा दिये गये उक्त आदेश के बाहर जाकर इस प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी जलंधर सिंह द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर